मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा.क. /स्थापना/2018 1222 भोपाल दिनांक 06-2-18

// परिपत्र//

विषय : वक़्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने और आय–व्यय के लेखे बाबत।

जैसा कि आप जानते है कि प्रदेश स्थित समस्त जिलों/तहसीलों/ग्रामों में किसी न किसी रूप में वक्फ संपत्ति मौजूद है। जिनकी संख्या लगभग 25000/– से अधिक है परंतु उक्त सभी वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय से वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम के प्रावधानुसार न तो वक्फ के आय व्यय पत्रक प्राप्त हो रहे हैं और न ही चंदा निगरानी की अदायगी हो रही है। चंदा निगरानी की कमी के कारण बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में असमर्थ महसूस कर रहा है।

समस्त वक्फों के जिम्मेदार मुतवल्ली/अध्यक्ष प्रबंध कमेटी का यह प्रथम दायित्व है कि वक्फ की आय में वृद्धि करें, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करें और वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करें।

जिन वक्फ संपत्तियों पर स्थानीय व्यक्तियों/किसी संस्था द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तो उस वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये वक्फ अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये संलग्न प्रारूप अनुसार आवेदन पंचनामा के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वक्फ अधिनियम की धारा 54 का आवेदन पत्र बोर्ड के निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें जिसमें वक्फ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की सत्यापित प्रति, म.प्र. राजपत्र की प्रति मौके का नजरी नक्शा, अतिक्रमणकारियों का पूरा नाम मय वल्दियत और पूरा पता, आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज प्रत्येक अतिक्रामक के दो दो प्रतियों में मय तलबाने के प्रस्तुत करें। ताकि वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके।

समस्त जिले की जिला वक्फ कमेटियों के पदाधिकारी/सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वह उनके जिले के अंतर्गत आने वाली वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निगरानी करते हुये कमेटियों से बकाया चंदा निगरानी एंव आय व्यय पत्रक एवं उक्तानुसार अतिक्रामक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करायें एंव समय समय पर बोर्ड को सूचित करते रहें।

अतः समस्त वक्फ संपत्तियों के जिम्मेदारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्तानुसार शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें एवं वक्फ बोर्ड को सहयोग प्रदान करेंगें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

D. No. 1222 — 06-2-18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सचिव, मान. मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल।
2 निज सचिव, मान. अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड भोपाल।
3 समस्त सदस्यगण, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल।
4 सचिव/आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।
5 अध्यक्ष/सचिव, जिला वक्फ कमेटी, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6 समस्त मुतवल्ली/अध्यक्ष वक्फ प्रबंध कमेटी मध्यप्रदेश।
7 समस्त प्रभारी/सहायक पंजीयन शाखा एवं आडिट शाखा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल।
8 समस्त प्रभारी/सहायक आडिट शाखा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल।
9 प्रभारी शाखा धारा 54 मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल।
10 आई.टी.सेल. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल